भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: *198

दिनांक 01 अगस्त, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मानसून के दौरान मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप

***198. श्री राम शिरोमणि वर्माः**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रवण श्रावस्ती और बलरामपुर आकांक्षी जिलों को हर वर्ष मानसून के दौरान मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का प्रकोप झेलना पड़ता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार उक्त बीमारियों की रोकथाम के लिए बड़े पैमाने पर दवा वितरण, फॉगिंग, जागरूकता अभियान और स्वास्थ्य शिविर आयोजित करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त जिलों में पर्याप्त जांच किट, दवाइयां और आईसीयू सुविधाएं उपलब्ध हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त प्रयोजनार्थ कोई जिला स्तरीय कार्य योजना या आपदा प्रबंधन प्रणाली तैयार की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार भविष्य में इन बीमारियों को रोकने के लिए उक्त जिलों को प्राथमिकता देने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 01 अगस्त, 2025 को उत्तर के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *198 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों में मानसून के दौरान मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के प्रकोप की कोई सूचना नहीं मिली है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान श्रावस्ती और बलरामपुर जिलों में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया के नैदानिक मामलों की संख्या इस प्रकार है:

जिले	मलेरिया के मामले			डेंगू के मामले			चिकनगुनिया के नैदानिक मामले		
वर्ष	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
श्रावस्ती	2	5	6	17	19	7	0	12	2
बलरामपुर	0	4	1	14	25	24	0	20	3

(ख) से (ङ): जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय है और स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। तथापि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, भारत सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया नियंत्रण कार्यकलापों सहित वेक्टर जनित रोगों के नियंत्रण के लिए एकीकृत तरीके से वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है, जैसे कि केस प्रबंधन, वेक्टर नियंत्रण कार्यकलाप, प्रशिक्षण सहायता, जागरूकता कार्यकलाप आदि, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनके समग्र संसाधनों की सीमा के भीतर प्रस्तुत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) पर आधारित होते है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीवीबीडीसी) मलेरिया, जापानी इंसेफेलाइटिस, डेंगू, चिकनगुनिया, कालाजार और लिम्फैटिक फाइलेरिया जैसे वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) का संचालन करता है। यह कार्यक्रम अनुमोदित वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नीतिगत कार्यान्वयन योजना, दिशानिर्देश, तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

मंत्रालय उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश में नियमित समीक्षा और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से प्रस्तुत रिपोर्टों द्वारा वेक्टर जनित रोगों की वृद्धि की नियमित निगरानी करता है।

चूँकि मानसून और मानसून के बाद की अवधि में वेक्टर जनित रोगों का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए भारत सरकार मानसून ऋतु से काफी पहले तैयारी कार्यकलाप शुरू कर देती है और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया जैसे वेक्टर जनित रोगों के प्रसार को रोकने और नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

- रोग प्रबंधन में सक्रिय, निष्क्रिय और प्रहरी निगरानी के साथ मामले का शीघ्र पता लगाना, उसके बाद

पूर्ण और प्रभावी उपचार, रेफरल सेवाओं को सुदृढ़ करना, महामारी के विरूद्ध तैयारी और त्वरित अनुक्रिया शामिल है।

- चयनित उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में इनडोर अवशिष्ट स्प्रे सहित एकीकृत वेक्टर प्रबंधन, मलेरिया से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्रों में लंबे समय तक चलने वाले कीटनाशक जाल, लार्वाभक्षी मछलियों का उपयोग, शहरी क्षेत्रों में जैव-लार्विनाशकों सहित लार्वा-रोधी उपाय और लघु पर्यावरण इंजीनियरिंग एवं प्रजनन की रोकथाम के लिए स्रोत में कमी।
- संबद्ध मंत्रालयों के साथ उच्च-स्तरीय सहयोग सहित अंतर-क्षेत्रीय समन्वय, क्षमता निर्माण और नीति विकास के माध्यम से मानव संसाधन विकास।
- व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण के उद्देश्य से सहायक अंतक्षेप और सोशल मीडिया, रेडियो, समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित विभिन्न मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से जन स्वास्थ्य संदेशों का संचार और प्रसार।
- दिनांक 16 मई को 'राष्ट्रीय डेंगू दिवस' और जुलाई में डेंगू रोधी माह का आयोजन, जिसमें आईईसी/बीसीसी कार्यकलापों और सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।
- जन सहभागिता और रोग निवारण जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए विश्व मलेरिया दिवस और मलेरिया रोधी माह (जून) का आयोजन।
- रियल टाइम निगरानी के लिए, राज्यों को एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल-वेक्टर जनित रोग (आईएचआईपी-वीबीडी) पोर्टल पर डेटा दर्ज करने के लिए प्रशिक्षित करना।
- सरकार स्वच्छता बढ़ाने, मच्छर नियंत्रण संबंधी उपायों को सुदृढ़ करने और मलेरिया तथा अन्य वेक्टर जनित रोगों (वीबीडी) की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जन जागरूकता बढ़ाने हेतु राज्य के स्वास्थ्य विभागों और शहरी स्थानीय निकायों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रही है।
- अंतर-विभागीय समन्वय, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई), स्व-सहायता समूहों (एसएचजी), सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के सदस्यों और धार्मिक/समुदायों के प्रमुखों को शामिल करना ताकि समुदायों को संगठित किया जा सके और निवारक आदतों को बढ़ावा दिया जा सके।
- कार्यान्वयन के लिए राज्यों को केस प्रबंधन, रोकथाम और नियंत्रण हेतु तकनीकी दिशानिर्देश प्रदान करना।
- डेंगू की निगरानी और निःशुल्क निदान के लिए, देश भर में 869 प्रहरी निगरानी अस्पताल (एसएसएच) और 27 शीर्ष रेफरल प्रयोगशालाएँ (एआरएल) चिन्हित की गई हैं। इनमें से 86 एसएसएच और तीन एआरएल उत्तर प्रदेश में हैं। भारत सरकार राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी), पुणे के माध्यम से सभी निर्धारित प्रयोगशालाओं को आईजीएम परीक्षण किट प्रदान करती है। इसकी लागत भारत सरकार वहन करती है।
- जमीनी स्तर पर पहुँच बढ़ाने के लिए शिक्षकों, समुदाय प्रमुखों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण।

- मलेरिया के प्रकोप से निपटने और इसके आगे प्रसार को रोकने के लिए, सरकार ने देश भर के सभी स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में डायग्नोस्टिक किट और मलेरिया-रोधी दवाओं का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित किया है।
- राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को नियमित रूप से एडवाइजरी जारी की जाती है ताकि वे प्रकोप की रोकथाम सहित प्रोत्साहन, निवारक और उपचारात्मक उपाय जारी रख सकें।

****